

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 928]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 15, 2017/कार्तिक 24, 1939

No. 928] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 15, 2017/KARTIKA 24, 1939

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सं. 55/2017- केंद्रीय कर

सा.का.नि.1411(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,—
 - (i) नियम 43 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—-

"स्पष्टीकरण—िनयम 42 और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों के संकलित मूल्य में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.िन. संख्यांक 1338(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 42/2017-एकीकृत कर, तारीख 27 अक्तूबर, 2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के प्रदाय के मूल्य को अपवर्जित किया जाएगा।";

(ii) नियम 54 के उपनियम (2) में, "प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा" शब्दों के स्थान पर. "प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे :

6694 GI/2017 (1)

(iii) नियम 97 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

<u>"97क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण</u> इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा।";

(iv) नियम 107 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"107क. मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्ररूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा।";

(v) नियम 109 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"109क. अपील प्राधिकारी की नियुक्ति--(1) इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या ओदश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, तीन मास के भीतर,—

- (क) आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश अपर या संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो ;
- (ख) अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या अधीक्षक द्वारा पारित किया गया हो ।
- (2) इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन निदेशित कोई अधिकारी, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर,—
 - (क) आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश अपर या संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो ;
 - (ख) अपर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या अधीक्षक द्वारा पारित किया गया हो ।";
- (vi) नियम 124 में,--
 - (क) उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी भी समय, अध्यक्ष की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी।";

(ख) उपनियम (5) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी भी समय, तकनीकी सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी।";

(vii) **"प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01"** के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी. 01क [नियम 89(1) और नियम 97क देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन (मैनुएल रूप से)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति, अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर की कटौती करने वाले व्यक्ति, कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति या अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जी.एस.टी.आई.एन./अस्थाई								
	पहचान पत्र								
2.	विधिक नाम								
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो								
4.	पता								
5.	कर की अवधि		<वर्ष	><मास >	से	<वा	र्ष ><मास>	तक	
	(यदि लागू हो)								
6.	दावा किए गए प्रतिदाय की रकम	अधिनिः	यम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
	(₹.)								
		केंद्रीय व	हर						
		राज्य/सं	घ						
		राज्यक्षे	त्र						
		कर एकीकृत							
		् एकाकृत कर							
		उपकर							
		योग							
7.	दावा किए गए प्रतिदाय के	(ক)	इले	। क्ट्रानिक जग	। मा खाते में	। आधिक्य अधि	धेशेष		
	आधार (सामने में से चुनें)	(ख)	सेव	गओं का निय	र्गात – कर वे	 ह भुगतान के	साथ		
		(ग)	मा	 ल/सेवाओं क	 ा निर्यात –	 कर के भुगत	 ान के बिना	(संचित आई	 इ.टी.सी.)
		(ঘ)						•	54(3) के पहले
		, ,		तुक के खंड (•	`,
		(ङ)			. ,		———— गार्थिक जोन	 विकासकर्ता	ओं को किए गए
		()		ाय के कारण					
		(च)	-					. विकासकत	 ओं को किए गए
		(=1)		राय जायक इाय के कारण					1-11 14 1475 45
		(छ)		<u>। या गणा श</u> मझा गया नि	• •		1		
		(8)	.,		., 71				

घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात किया गया माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यधीन नहीं है । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस माल या सेवा या दोनों पर कोई भी प्रतिदायगी का उपभोग नहीं किया है और मैंने उस प्रदाय पर भुगतान किए गये एकीकृत कर के ऐसे प्रतिदाय का कोई दावा नहीं किया है जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर

नाम --

पदनाम/प्रास्थिति

<u>घोषणा [धारा 54(3)(ii)]</u>

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए आई.टी.सी. प्रतिदाय में शून्य दर वाली या पूर्णतया छूट-प्राप्त प्रतिदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई.टी.सी. सम्मिलित नहीं है ।

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम/प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने आवेदक के द्वारा संदत्त कर के ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है ।

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम/प्रास्थिति

स्वघोषणा	[नियम	89	(2)	(छ)]

मैं/हम______ (आवेदक), जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी ------ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ करती हूं/करते हैं और प्रमाणित करता हूं/करती हूं/करते हैं कि --------- से ------तक कि अविध के लिए कर, ब्याज या अन्य किसी राशि से संबंधित ---- रूपये की राशि के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में जिसका दावा किया गया है, उसके बारे में ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर आरोपित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम/प्रास्थिति

(यह घोषणा उन आवेदकों के लिए अपेक्षित नहीं है, जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है।)

8. सत्यापन

मैं/ हम<करदाता का नाम>, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ करती हूं/करते हैं और यह घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य तथा सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है ।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि इसके पहले मैंने/हमने इस निमित्त कोई भी प्रतिदाय नहीं लिया है।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

<u>अनुबंध-1</u>

विवरण -1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकार : विपरीत कर संरचना के कारण संचित शोध्य आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(राशि रुपये में)

माल की विपरीत कर दर पर प्रदाय का आवर्त			शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा किये जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय की राशि [(1×4÷3)-2]
1	2	3	4	5

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)-प्रतिदाय राशि की संगणना

(राशि रुपये में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाईयों/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को कर के भुगतान के बिना किए जाने वाले प्रदाय के कारण (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय की राशि की संगणना

(राशि रुपये में)

शून्य दर पर माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय की राशि (1×2÷3)
1	2	3	4

प्ररूप-जीएसटी-आरएफडी-01 ख

[नियम 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) और 97क देखें] प्रतिदाय आदेश के ब्यौरे

1.	एआरएन	
2.	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी	
3.	विधिक नाम	
4.	फाइल किए जाने की तारीख	
5.	प्रतिदाय का कारण	
6.	वित्तीय वर्ष	
7.	मास	
8.	आदेश सं.:	
9.	आदेश को जारी किए जाने की	
	तारीख :	

10	0. पेमेंट	पेमेंट एडवाइस की सं. :																								
1		,																								
12	2. जिसव	ने प्रा	तेद	ाय	जार्र	ो वि	केया	ड्र	ड्राप डाउन : करदाता / उपभोक्ता कल्याण निधि																	
	गयाः																									
1;			ी :																							
14	4. टिप्पा																									
1	5. आदेश	आदेश का प्रकार				ड्रा	ड्राप डाउन : आरएफडी-04/ 06/ 07 (भाग क)																			
		ाय रार्ग	श					ूप से	प से जारी आदेश के अनुसार): केन्द्रीय कर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर उपकर																	
विव	रण			ŋ	कीकृ	त क	र			7	केन्द्री	य कर	_		रा	ज्य/स	ांघ र	ाज्यध	नेत्र व	हर 		Ι	उपव	हर		
		ŀ	طهد	ब्याज	शास्ति	أسط	न	योग	कर	ब्याज	<u>म</u> िस	(المع	नु	ोग	*	याज	शास्ति	المعلام المعلق	न्त	योग	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	ोग
क. दाव प्रतिदाय			b	10	ÖY.	<u>6</u> 27	<u></u> 89	<u>'ਜ'</u>	lo-	10	67	5x1	<u>'</u>	<u>'ਜ'</u>	<u>lo</u>	10	6	5x1	<u></u> 89	ੱਜ <u>ੇ</u>	В	10	6	<i>6</i> √	<u>8</u>	'ਨ' -
ख. अनं पर मंजूर प्रतिदाय																										
ग. अतिशे	ष राशि																									
घ. अस्वीव राशि	नार्य प्रत <u>ि</u> द	य																								
ङ सक जिसका भु जाना है																										
च. ब्याज हो)	(यदि क	ाई																								
छ. विद्यमान विधि के अधीन या अधिनियम के अधीन बकाया मांग के स्थान पर समायोजित राशि																										
ज. शुद्ध राशि, जिसका																										
भुगतान वि ।																										
17.	कुर्की (३	गदेश) —											आ•	रएफ	डी -()4;	आरा —	रफडी —	-06	; आर 	एफ	डी 0 —	7 (4	ाग व	<u>5)</u>	
तरीख :													हस्त	गक्षर	(डी	एसर्स	1):									
स्थान :													नाम	Γ:												
														नाम :												
													कार	र्गालय	का	पता	:									

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.िन. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.िन. 1344(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 51/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 अक्तूबर, 2017 द्वारा उसमें अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2017

No. 55/2017 - Central Tax

G.S.R. 1411(E).— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017,—
 - (i) in rule 43, after sub-rule (2), the following explanation shall be inserted, namely:—
 - "Explanation-For the purposes of rule 42 and this rule, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies shall exclude the value of supply of services specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 42/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 27th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 1338(E) dated the 27th October, 2017.";
 - (ii) in rule 54, in sub-rule (2), for the words "supplier shall issue", the words "supplier may issue" shall be substituted;
 - (iii) after rule 97, the following rule shall be inserted, namely:—
 - **"97A. Manual filing and processing.** Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.";
 - (iv) after rule 107, the following rule shall be inserted, namely:—
 - **"107A. Manual filing and processing.** Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.";
 - (v) after rule 109, the following rule shall be inserted, namely:—
 - **"109A. Appointment of Appellate Authority-** (1)Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act may appeal to—
 - (a) the Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Additional or Joint Commissioner;
 - (b) the Additional Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Deputy or Assistant Commissioner or Superintendent,
 - within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person.
 - (2) An officer directed under sub-section (2) of Section 107 to appeal against any decision or order passed under this Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act may appeal to –
 - (a) the Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Additional or Joint Commissioner;

(b) the Additional Commissioner (Appeals) where such decision or order is passed by the Deputy or Assistant Commissioner or the Superintendent,

within six months from the date of communication of the said decision or order.";

- (vi) in rule 124,—
 - (a) in sub-rule (4), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that the Central Government with the approval of the Chairperson of the Council may terminate the appointment of the Chairman at any time.";

(b) in sub-rule (5), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that the Central Government with the approval of the Chairperson of the Council may terminate the appointment of the Technical Member at any time.";

(vii) after the "FORM GST RFD-01", the following forms shall be inserted, namely:—

"FORM-GST-RFD-01 A

[See rules 89(1) and 97A] Application for Refund (Manual)

(Applicable for casual taxable person or non-resident taxable person, tax deductor, tax collector and other registered taxable person)

1.	GSTIN/Temporary ID													
2.	Legal Name													
3.	Trade Name, if any													
4.	Address													
5.	Tax period (if applicable)	From <	Year> <mo:< td=""><td>nth> To</td><td><yea< td=""><td>ar><month></month></td><td></td><td></td><td></td></yea<></td></mo:<>	nth> To	<yea< td=""><td>ar><month></month></td><td></td><td></td><td></td></yea<>	ar> <month></month>								
6.	Amount of Refund Claimed(Rs.)		Act		Interest	Penalty	Fees	Others	Total					
		Central	tax											
		State / l	UT tax											
		Integrat	ted tax											
		Cess												
		Total												
7.	Grounds of Refund Claim (select from	(a)	Excess ba	lance in Elec	tronic Cash I	Ledger								
	drop down)	(b)	Exports o	f services- w	ith payment o	of tax								
		(c)	Exports o	f goods / serv	vices- withou	t payment of	tax (accumul	ated ITC)						
		(d)	(d) ITC accumulated due to inverted tax structure[under clause (ii) of first proviso to Section 54(3)]											
		(e) On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer(with payment of tax)												
(f) On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer (withou							thout paymen	nt of tax)						
ı		(g)	Recipient	of deemed ex	xport									

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed	any
drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplie	es in
respect of which refund is claimed.	

Signature

Name -

Designation / Status

DECLARATION [section 54(3)(ii)]

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making 'nil' rated or fully exempt supplies.

Signature

Name -

Designation / Status

DECLARATION [rule 89(2)(f)]

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name -

Designation / Status

I/We _	(Applicant) having GSTIN/ temporary Id, solemnly affirm and certify that in
respect	of the refund amounting to Rs/ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period fromto
claimed	I in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

Signature

Name -

Designation / Status

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of Section 54.)

8. Verification

I/We<Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

I/We declare that no refund on this account has been received by me/us earlier.

Place Date Signature of Authorised Signatory

(Name)

Designation/ Status

Annexure-1

Statement -1 [rule 89(5)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to Section 54(3)] (Amount in Rs.)

Turnover of	Tax payable on	Adjusted total	Net input tax credit	Maximum refund
inverted rated	such inverted	turnover		amount to be claimed
supply of goods	rated supply of			$[(1\times4\div3)-2]$
	goods			
1	2	3	4	5

Statement- 3A [rule 89(4)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount (Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)			
1	2	3	4			

Statement-5A [rule 89(4)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount

(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)				
1	2	3	4				

FORM-GST-RFD-01 B

[See rules 91(2), 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) and 97A]

Refund Order details

	ARN	
1.		
2.	GSTIN / Temporary ID	
3.	Legal Name	
4.	Filing Date	
5.	Reason of Refund	
6.	Financial Year	
7.	Month	
8.	Order No.:	
9.	Order issuance Date:	
10.	Payment Advice No.:	
11.	Payment Advice Date:	
12.	Refund Issued To:	Drop down: Taxpayer / Consumer Welfare Fund
13.	Issued by:	
14.	Remarks:	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

15.	Type of Order					D	Drop Down: RFD- 04/ 06/ 07 (Part A)																	
16.	Details of Refund Amount (As per the manually issued Order):																							
Description							Central Tax State/ UT tax								Cess									
	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
a. Refund amount claimed																								
b. Refund Sanctione d on provision al basis c. Remainin g Amount																								
d. Refund amount in- admissibl e																								
e. Gross amount to be paid																								
f. Interest (if any)																								<u> </u>
g. Amount adjusted against outstandin g demand under the existing law or under the Act																								
h. Net amount to be paid 17.	Atta	achme	nts (Or	ders)					RFD	0-04; R	FD- 06	6: RFD	07 (P:	art A)										
17. Attachments (Orders) Date: Place:					Signature (DSC): Name: Designation: Office Address:																			

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt)]

 $Dr. SREEPARVATHY\ S.L.,\ Under\ Secy.$

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19thJune, 2017, published *vide* number G.S.R 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 51/2017-Central Tax, dated the 28thOctober, 2017, published *vide* number G.S.R 1344 (E), dated the 28th October, 2017.